प्रेस विज्ञप्ति

उ0प्र0 शासन द्वारा **एक जनपद एक उत्पाद(ODOP)** कार्यक्रम के अन्तर्गत **वित पोषण हेतु सहायता योजना** संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिला चित्रकूट में एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत **काष्ठ कला (लकड़ी के खिलौनें)** का चयन किया गया है। योजनान्तर्गत प्रमुख बिन्दु निम्नवत है।

पात्रता की मुख्य शर्ते :–

(1) आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहियें।

(2) शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।

(3) योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित पोषण में सहायता की सुविधा संम्बन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद **काष्ठ कला उत्पाद (लकड़ी के खिलौनें)** की इकाईयों को ही प्राप्त होगीं।

योजना का वित पोषणः–

–रूपया 25 लाख तक की परियोजना लागत की इकाईयों हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी(अनुदान) के रूप में देय होगी। रूपया 25.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत पर भिन्न–भिन्न दरों में मार्जिन मनी(अनुदान) देय होगा। योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

आवेदन पत्र कार्यालय **जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, चित्रकूट से दिनांक 25.09.2019** तक किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त एवं जमा किया जा सकता है। आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को आधार, निवास, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं शपथ–पत्र संलग्नकर जमा करना होगा।

उप आयुक्त उद्योग
चित्रकूट

कार्यालयः– उप आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, चित्रकूट

पत्रांक– 512 /जि0उ0के0(चित्र0)/ओ0डी0ओ0पी0 ऋण/2019–20 दिनांकः– 19/09/2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC),चित्रकूट को इस आशय से प्रेषित कि जिले की वेबसाइट/सम्बन्धित वेबसाइट पर सूचना को प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

3–जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को 08 प्रतियों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

4–श्री उमाशंकर/अजय प्रसाद/नीरज गुप्ता, फील्ड सहायक।

5– कार्यालय नोटिस बोर्ड।

उप आयुक्त उद्योग
चित्रकूट